जारी।
आदेश पत्रावली दिनांक

17/11/22 आज पत्रावली पेश हुई / वकील वादी उप० आप / चूंकि
प्रकरण नामान्तकरण के आवेदन का विचाराधीन रहा है।
बाद डिक्री स्वीकार किया गया प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर / पत्रावली
बाद इन्द्राज अभिलेख पत्रावली किया गया / बाद वकील
फैसल शुदा हो / नकल ले कर हो / बाद वकील
दाखिल दफ्तर करता हो / सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0
पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (RAS)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
193 / 2019	05.07.2019	17.11.2022

//उनवान//

1 ओमप्रकाश पुत्र सूरजा उर्फ सूरजभान जाति ब्राह्मण निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर, अलवर राज0।

:— वादी

बनाम

1 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवर राज0।

:— असल प्रतिवादी

2 श्यामलाल पुत्र सूरजा उर्फ सूरजभान
3 शकुन्तला पुत्री सूरजा उर्फ सूरजभान
4 सीता पुत्री सूरजा उर्फ सूरजभान जातियान ब्राह्मण निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर, अलवर राज0।

:— तर0 प्रतिवादीगण

दावा— दूरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89
राज0 काश्त0 अधिनियम सन् 1955।

उपस्थितिः— श्री जगन्नाथ यादव — वकील वादी

निर्णय दिनांक— 17.11.2022

आज ,यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी खसरा नम्बर 30/0.40, 31/0.28, 34/0.57, 731/0.29, 741/0.35, 756/0.22 है0 वाके ग्राम बीरोद तह0 मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है जिसमें जमाबंदी में मिन वादी के नाम का अंकन बजरंग दर्ज है उक्त अंकन इस वाद में विवादित है। उक्त विवादित आराजीयात मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता सूरजा उर्फ सूरजभान की खातेदारी थी जिनकी मृत्यु पश्चात् विरासत इंतकाल दर्ज करते समय मिन वादी का नाम ओमप्रकाश के बजाय बजरंग दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया है इसलिए विरासत इंतकाल सं0 409 वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर मिन वादी के हक हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है तथा राजस्व रिकॉर्ड में ओमप्रकाश का नाम दूरूस्त कराने का अधिकारी है। मिन वादी को गांव में प्यार से बजरंग ही कहते है परन्तु पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाता आदि सभी जगह मिन वादी का नाम ओमप्रकाश दर्ज है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में ओमप्रकाश शुद्ध कराना आवश्यक है आदि–आदि अंकित करते हुए वाद वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर करार दिया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 30/0.40, 31/0.28, 34/0.57, 731/0.29, 741/0.35, 756/0.22 है0 वाके ग्राम बीरोद तह0 मुण्डावर जिला अलवर में काश्तकार खाने में अंकित बजरंग के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज करने के आदेश दिए जावे एवं अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत दी जासी जावे का निवेदन रहा।

खण्डाधिकारी
वर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी हाजिर अदालत आने व बार–बार अवसर दिए जाने उपरांत जवाब पैरोकार सरकार के अवसर को समाप्त किया गया एवं तर0 प्रतिवादी सं0 2 ता0 4 की ओर से जरिये अभिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त मुताबिक प्रस्तुत इकबाल जवाब अनुसार वादी के वादपत्र के जिम्मनो को स्वीकार करते हुए अंकित किया कि वादी का नाम बजरंग के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किया जावे तो हम सहमत है हमें कोई आपत्ति नहीं है। वाद वादी डिक्री फरमाये जावे का निवेदन रहा।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल इंतकाल सं0 409 वाके ग्राम बीरोद, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75, ग्राम पंचायत पलावा द्वारा दिनांक 20.09.2019 में जारी प्रमाण पत्र जिसके मुताबिक ओमप्रकाश शर्मा उर्फ बजरंग पुत्र सूरजभान जाति ब्राह्मण निवासी बीरोद का रहने वाला है। ओमप्रकाश शर्मा उर्फ बजरंग दोनों नाम इसी के है। गांव बीरोद में ओमप्रकाश शर्मा उर्फ बजरंग नाम का व्यक्ति और कोई भी नहीं है अंकित होकर शामिल पत्रावली है, मतदाता सूची, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रतियां पेश की जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात पैतृक आराजी होकर तर0 प्रतिवादीगण के साथ–साथ पिता सूरजभान की मृत्यु उपरांत जरिये विरासत प्राप्त हुई है लेकिन विरासत इंतकाल दर्ज करते समय वादी का नाम ओमप्रकाश के बजाय बजरंग दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया जबकि वादी के पहचान के समस्त दस्तावेजात यथा मतदाता सूची पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक खाता में ओमप्रकाश नाम अंकित है जो सही नाम है तथा वादपत्र के बाबत तर0 प्रतिवादीगण द्वारा भी हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश कर दिया जो शामिल पत्रावली है एवं उक्त इकबाल जवाब में वादी के वादपत्र के समस्त जिम्मनों को स्वीकार करते हुए वादी का नाम बजरंग के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किया जावे हम सहमत है के बाबत का पेश है साथ ही अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल इंतकाल सं0 409 वाके ग्राम बीरोद, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75, ग्राम पंचायत पलावा द्वारा दिनांक 20.09.2019 में जारी प्रमाण पत्र जिसके मुताबिक ओमप्रकाश शर्मा उर्फ बजरंग पुत्र सूरजभान जाति ब्राह्मण निवासी बीरोद का रहने वाला है। ओमप्रकाश शर्मा उर्फ बजरंग दोनों नाम इसी के है। गांव बीरोद में ओमप्रकाश शर्मा उर्फ बजरंग नाम का व्यक्ति ओर कोई भी नहीं है अंकित होकर शामिल पत्रावली है, मतदाता सूची, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रतियां पेश की जिन समस्त दस्तावेजात में वादी का सही नाम ओमप्रकाश दर्ज है इस प्रकार से वादी ने अपने वाद को पूर्णरूप से साबित कर दिया है का निवेदन करते हुए वादी के वाद को डिक्री फरमाया जाकर गलत नाम बजरंग के स्थान पर सही नाम ओमप्रकाश दर्ज कराए जाने के आदेश फरमाये जावे का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिए जाने की स्थिति में यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वाद को महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिए जाने पर वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में वादी के आराजी खसरा नम्बर 30 / 0.40, 31 / 0.28, 34 / 0.57, 731 / 0.29, 741 / 0.35, 756 / 0.22 ...0 वाके ग्राम बीरोद तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो रहे वादी के बजरंग नाम को हजफ किए जाने के आदेश दिए जाते है एवं उसके स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **17.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

17.11.22

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
193 / 2019	05.07.2019	17.11.2022

//उनवान//

1 ओमप्रकाश पुत्र सूरजा उर्फ सूरजभान जाति ब्राह्मण निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर, अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवर राज0।

:– असल प्रतिवादी

2 श्यामलाल पुत्र सूरजा उर्फ सूरजभान
3 शकुन्तला पुत्री सूरजा उर्फ सूरजभान
4 सीता पुत्री सूरजा उर्फ सूरजभान जातियान ब्राह्मण निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर, अलवर राज0।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा– दूरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89
राज0 काश्त0 अधिनियम सन् 1955।

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री जगन्नाथ यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.11.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वाद को महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिए जाने पर वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में वादी के आराजी खसरा नम्बर 30/0.40, 31/0.28, 34/0.57, 731/0.29, 741/0.35, 756/0.22 है0 वाके ग्राम बीरोद तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो रहे वादी के बजरंग नाम को हजफ किए जाने के आदेश दिए जाते है एवं उसके स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 17.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

17-11-2022
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0